

स्थानीय सूचना

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

संख्या- 06/भू0अ0

दिनांक- 08.11.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, कोडरमा को यह प्रतीत होता है, कि ग्राम-विन्डोमोह, थाना नं0-103, थाना- नवलशाही, अंचल - डोमचाँच जिला - कोडरमा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा कोडरमा-जमुआ पथ चौड़ीकरण निर्माण हेतु अपेक्षित है इसलिए एस0आई0ए0 इकाई सपोर्ट द्वारा सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन कराया गया जिसकी समीक्षा हेतु गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अधियाचित भूमि लोक कल्याणार्थ आवश्यक न्यूनतम सीमा है। इस परियोजना से प्रभावित परिवारों की आर्थिक गतिविधियों, आय के स्रोत एवं सेवा के अवसर में उन्नयन के फलस्वरूप प्रभावितों के जीवन स्तर में उन्नति की संभावना है एवं परियोजना के संभाव्य लाभ सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- विन्डोमोह थाना- नवलशाही, थाना सं0-103, अंचल- डोमचाँच, जिला-कोडरमा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश- 0.11 एकड़ यानि 0.0445 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है.....

मौजा-विन्डोमोह, थाना नं0-103 थाना- नवलशाही, अंचल-डोमचाँच, जिला-कोडरमा।

क्रम सं0	खाता नं0	सर्वे भूखंड सं0 (प्लॉट नं0)	स्वामित्व प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1.	35	1210	रैयती भूमि	कृषि	0.01	अज्ञात	उ0-सड़क	द0-प्लॉट1210अंश	पू0-प्लॉट 1211	प0-प्लॉट1210अंश
2.	52	617	रैयती भूमि	कृषि	0.005	सदीक खॉ पिता -स्व0 बुटु खॉ वो सलीम खॉ वो नसीम खॉ वो ग्यास खॉ पिता-स्व0 इब्राहिम खॉ वो शैनुल खॉ वो अलीम खॉ वो रैयाज खॉ वो अफताब खॉ पिता-स्व0 गनी खॉ नि0-निजग्राम	उ0-प्लॉट 616	द0-सड़क	पू0-प्लॉट 618	प0-प्लॉट 613

		618	रैयती भूमि	कृषि	0.005	इरसाद वो इझार वो जैतुन पिता-स्व0 गफुर खॉ वो मुख्तार खॉ पिता - स्व0 इसमाईल वो अखतर खॉ पिता-स्व0 रमजु खॉ वो इम्तियाज खॉ वो साबीर खॉ वो तारो खॉ वो गोला खॉ पिता-स्व0 काजीम खॉ निवासी -देवीपुर।	उ0-प्लॉट618 अंश द0-सड़क पू0-प्लॉट 619 प0-प्लॉट 617
	52	619	रैयती भूमि	कृषि	0.005	सैराज खॉ पिता -स्व0 सफी खॉ वो जैनुल खॉ वो एकराम खॉ वो नजाम खॉ वो जाबीर खॉ वो मसो0 नजीम खातुन पति -स्व0 ऐनुल खॉ वगैरहनि0-निजग्राम।	उ0-प्लॉट619 अंश द0-सड़क पू0-प्लॉट 691 प0-प्लॉट 618
		691	रैयती भूमि	कृषि	0.01	छोटु खॉ पिता-स्व0 महमुद खॉ वो समसुल खॉ वो सोहीब खॉ पिता -स्व0 जान खॉ वो मसो0 हसीना खातुन पति-स्व0 नजाम खॉ वो काजीम खॉ वो बुधन खॉ पिता-स्व0 रोसो खॉ नि0 -देवीपुर।	उ0-प्लॉट691 अंश द0-सड़क पू0-प्लॉट 692 प0-प्लॉट 619
		692	रैयती भूमि	कृषि	0.02	सैराज खॉ पिता -स्व0 सफी खॉ वो जैनुल खॉ वो एकराम खॉ वो नजाम खॉ वो जाबीर खॉ वो मसो0 नजीम खातुन पति -स्व0 ऐनुल खॉ वगैरह नि0 - निजग्राम।	उ0-प्लॉट692 अंश द0-सड़क पू0-प्लॉट 696 प0-प्लॉट 691
3.	62	325	रैयती भूमि	आवासीय	0.005	खागो साव पिता-स्व0 बिशुन साव नि0 - निजग्राम।	उ0-प्लॉट 160 द0-सड़क पू0-प्लॉट 324 प0-प्लॉट 160

4.	56	160	रैयती भूमि	आवसीय	0.01	खागो साव पिता —स्व० बिशुन साव वो रीतलाल साव वो भुनेश्वर साव वो नारायण साव वो लक्ष्मण साव पिता —स्व० गोविन्द साव निवासी— निजग्राम।	उ०—प्लॉट160 अंश द०—सड़क पू०—प्लॉट 325 प०—सड़क
5.	40	324	रैयती भूमि	आवासीय	0.03	बुधन महतो पिता —स्व० बन्धन महतो वो मोही यादव वो कैला महतो पिता —स्व० शुकर महतो वगैरह नि० — नवलशाही।	उ०—प्लॉट324 अंश द०—सड़क पू०—प्लॉट 1268 प०—प्लॉट 325
6.	29	450	रैयती भूमि	आवासीय	0.01	मसो० जसीया पति —स्व० खुशनारायण राम वगैरह निवासी —निजग्राम।	उ०—प्लॉट450 अंश द०—सड़क पू०—प्लॉट 474 प०—प्लॉट 366
कुल :-					0.11 एकड़		

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, **कोडरमा** के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, **कोडरमा** और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अन्तरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, **कोडरमा** के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह०/—
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
कोडरमा।

ह०/—
अपर समाहर्ता,
कोडरमा।

ह०/—
उपायुक्त,
कोडरमा।